



मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र.1306 /MGNREGS-MP/NR-3/2025

भोपाल, दिनांक 05/07/2025

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक (महात्मा गांधी नरेगा)
जिला- समस्त, मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक (महात्मा गांधी नरेगा)
जिला पंचायत- समस्त, मध्यप्रदेश

विषय : महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत वर्ष 2025-26 में "एक बगिया माँ के नाम" परियोजना के अंतर्गत निजी भूमि पर उद्यानिकी पौधारोपण के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश।

संदर्भ: भारत सरकार का पत्र क्रमांक 4-1/2025 NAEB, दिनांक 16 मई, 2025।

1. प्रस्तावना :-

माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता को मजबूत करने के उद्देश्य से "एक पेड़ माँ के नाम 2.0" अभियान को पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में प्रारंभ किया गया। भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र से "एक पेड़ माँ के नाम अभियान-2.0" के विषय में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

माननीय प्रधानमंत्री जी की उक्त "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान की प्रेरणा से उद्भूत परिकल्पना के अनुक्रम में "एक बगिया माँ के नाम" परियोजना के अंतर्गत आगामी मानसून सीजन 2025 में स्व-सहायता समूह की पात्र महिला हितग्राहियों की निजी भूमि पर उद्यानिकी पौधारोपण किया जाना है। परियोजना अंतर्गत हितग्राही की पात्रता का परीक्षण मनरेगा अंतर्गत Annual Master Circular द्वारा निर्धारित मापदण्डों अनुसार ही किया जाना है। यह परियोजना छोटे, मध्यम एवं सीमांत कृषकों की भूमि पर उद्यानिकी फसलों के रोपण को प्रोत्साहित करेगी, जिनके उत्पादन और विपणन से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। उक्त पौधारोपण परियोजना का क्रियान्वयन जिला कलेक्टर के निर्देशन में किया जावेगा।

निजी भूमि पर पौधारोपण परियोजना हेतु समय-समय पर जारी समस्त दिशा-निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए "एक बगिया माँ के नाम" परियोजना अंतर्गत हितग्राहियों के चिन्हांकन, स्थल चयन, पौधारोपण की तैयारी, लागत संबंधी विवरण, पौधारोपण प्रक्रिया, अनुश्रवण (मॉनिटरिंग) तथा अन्य संबंधित गतिविधियों हेतु निर्देश प्रदान किए जा रहे हैं। परन्तु मनरेगा अंतर्गत पौधारोपण की प्रगतिरत परियोजनाओं के लिए उनकी अवधि पूर्ण होने तक पूर्व के जारी

दिशा-निर्देश मान्य होंगे व देवारण्य योजना के लिए हितग्राहीमूलक पौधारोपण कार्यो हेतु जारी दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।

इस परियोजना अंतर्गत स्वीकृत कार्यो में पौधारोपण 15 अगस्त से 15 सितंबर, 2025 तक एक अभियान के रूप में किया जाएगा, परन्तु पौधारोपण कार्य, किसी विशेष तिथि पर न किया जाकर सिपरी सॉफ्टवेयर (SIPRI) द्वारा सुझाए समयानुसार ही किया जाएगा।

2. हितग्राहियों का चयन :-

“एक बगिया माँ के नाम” परियोजना के अंतर्गत आजीविका मिशन के स्व-सहायता समूह की महिला सदस्य, जो स्वयं की भूमि पर फलदार पौधारोपण करने हेतु इच्छुक हो, उसका चयन किया जाए। चयनित महिला हितग्राही के नाम पर भूमि नहीं होने की दशा में उस महिला के पति/पिता/ससुर की भूमि पर उनकी सहमति के आधार पर पौधारोपण किया जा सकेगा। चयनित हितग्राही के पास पौधारोपण हेतु न्यूनतम 0.5 एकड़ भूमि होना अनिवार्य है। परन्तु परियोजना अंतर्गत अधिकतम 01 एकड़ भूमि पर ही कार्य किया जा सकेगा। हितग्राही चयन हेतु MPSEDC के माध्यम से “एक बगिया माँ के नाम” App विकसित किया जा रहा है। हितग्राही का चयन “एक बगिया माँ के नाम” App के माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा, अन्य किसी माध्यम से हितग्राही का चयन किया जाना अनियमितता की श्रेणी में आएगा। हितग्राहियों का चयन यथासंभव इस प्रकार किया जाए कि परियोजना अंतर्गत पौधारोपण फलोद्यान क्लस्टर के रूप में विकसित हो सके।

3. स्थल चयन :-

3.1 स्थल चयन हेतु सिपरी सॉफ्टवेयर (SIPRI) का उपयोग आवश्यक रूप से किया जाये। “एक बगिया माँ के नाम” App के माध्यम से चयनित हितग्राही की भूमि का परीक्षण सिपरी साफ्टवेयर (SIPRI) के माध्यम से किये जाने का प्रावधान किया गया है। सिपरी साफ्टवेयर (SIPRI) द्वारा पौधारोपण हेतु उपयुक्त दर्शित भूमि पर ही इस परियोजना के अंतर्गत कार्य स्वीकृत किये जा सकेंगे। यदि सिपरी सॉफ्टवेयर (SIPRI) द्वारा स्थल को पौधारोपण हेतु उपयुक्त नहीं बताया गया हो तो उस स्थल पर कार्य स्वीकृत न किया जाए। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि सिपरी साफ्टवेयर (SIPRI) द्वारा 01 एकड़ से अधिक के क्षेत्रफल वाले खसरे को पौधारोपण हेतु उपयुक्त बताया जाता है, तो भी उस खसरे की अधिकतम 01 एकड़ भूमि पर ही परियोजना अंतर्गत कार्य किया जाना है।

3.2 सिपरी सॉफ्टवेयर (SIPRI) द्वारा भूमि को उपयुक्त बताए जाने की दशा में इस परियोजना अंतर्गत कार्य तभी लिया जाए, जब पानी का विश्वसनीय स्थायी स्रोत यथा नदी, नाला, कुआं, तालाब, खेत तालाब, ट्यूबवेल आदि उपलब्ध हो, जिनमें 12 महीने पानी

उपलब्ध रहता हो। इसके लिए कार्य स्वीकृत किये जाने से पूर्व स्थल निरीक्षण अनिवार्यतः किया जाए।

- 3.3 पौधों की सिंचाई हेतु जलकुण्ड का प्रावधान :- परियोजना अंतर्गत वर्षभर पौधों की सिंचाई हेतु एक 50 हजार लीटर के जलकुण्ड का प्रावधान किया गया है। जलकुण्ड का आकार 5x5x2 मीटर होगा। जिसमें पानी को संरक्षित करने के लिये HDPE 500 micron पॉलिथीन का प्रयोग किया जायेगा। परियोजना के प्राक्कलन में जलकुण्ड सम्मिलित किया गया है।

परन्तु यदि हितग्राही की भूमि पर सिंचाई हेतु पर्याप्त व्यवस्था है, तो जलकुण्ड बनाया जाना आवश्यक नहीं होगा।

- 3.4 उपरोक्त जलकुण्ड के अतिरिक्त परियोजना अंतर्गत फलदार पौधों की सिंचाई हेतु Drip Irrigation, Sprinkler System, मटका पद्धति इत्यादि व्यवस्था पर होने वाला समस्त व्यय स्वयं हितग्राही को वहन करना होगा अथवा किसी अन्य शासकीय योजना के माध्यम से नियमानुसार लाभ दिया जा सकेगा।
- 3.5 सिंहस्थ कुंभ-2028 के दृष्टिगत परियोजना अंतर्गत क्षिप्रा नदी के किनारे एवं क्षिप्रा नदी की सहायक नदियों के आसपास इस परियोजना के उपरोक्त मापदण्ड अनुसार पात्र हितग्राहियों के चयन के विशेष प्रयास किये जायें, ताकि इस योजना के अंतर्गत किया गया पौधारोपण देश व विदेश से आए श्रद्धालुओं के समक्ष जल संवर्द्धन व पर्यावरण संरक्षण की एक अनुकरणीय पहल के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। इस प्रकार का प्रयास अन्य जिले भी उनके क्षेत्र की प्रमुख नदियों के आसपास सिपरी साफ्टवेयर (SIPRI) द्वारा दर्शित उपयुक्त स्थल पर करें।

4. प्राक्कलित लागत : -

- 4.1 परियोजना की प्राक्कलित लागत परिशिष्ट-1 अनुसार होगी।
- 4.2 पौधारोपण परियोजना अंतर्गत पौधों की सुरक्षा हेतु कटीले तार की फेंसिंग का प्रावधान किया गया है, इसीलिए कटीले तार से फेंसिंग हेतु राशि संलग्न प्राक्कलन में सम्मिलित की गई है। परिषद द्वारा यह प्रयास किया जाएगा कि MPSEDC के माध्यम से परियोजना अंतर्गत स्वीकृत किये गये स्थल की जिओटेग फोटो का ड्रोन के माध्यम/Artificial Intelligence (एआई) तकनीकी इत्यादि के प्रयोग से तार फेंसिंग का सत्यापन किया जाये, ताकि इस प्रयोजन हेतु प्रावधानित राशि का दुरुपयोग रोका जा सके।
- 4.3 इस परियोजना अंतर्गत प्रथम वर्ष 374 मानव दिवस, द्वितीय वर्ष 42 मानव दिवस एवं तृतीय वर्ष 35 मानव दिवस सृजित होना है। परियोजना में हितग्राही व उसके परिवार के सदस्यों को वरीयता दी जाएगी, ताकि मजदूरी की अधिकतम राशि हितग्राही के परिवार को प्राप्त हो सके। मनरेगा अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 100 मानव दिवस के

रोजगार का प्रावधान (वनाधिकार पत्र धारकों को 50 दिवस अतिरिक्त) है। अतः परियोजना के प्रथम वर्ष में शेष मानव दिवस के लिए हितग्राही जिस स्व सहायता समूह की सदस्य है, उस समूह के अन्य जाबकार्डधारी सदस्यों को नियोजित किया जाए। यदि उक्त स्व सहायता समूह के सदस्यों द्वारा कार्य पूर्ण कर लिया गया हो अथवा वह काम करने के इच्छुक नहीं हों, तो ऐसी स्थिति में हितग्राही की इच्छा से अन्य जाबकार्डधारी को उक्त कार्यों में नियोजित किया जाए।

- 4.4 पौधारोपण के लिए क्रय की गयी सामग्री जैसे- पौधे, खाद, कीटनाशक आदि सामग्री का भुगतान हितग्राही को किया जाना है, अतः उक्त सामग्री हितग्राही द्वारा स्वयं बाजार से क्रय किया जाकर उसका बिल ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसका सत्यापन उपयंत्री, सहायक यंत्री, आजीविका मिशन के ब्लॉक समन्वयक द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। सत्यापित बिल ग्राम पंचायत द्वारा जनपद पंचायत में भुगतान के लिए जमा किया जाएगा। जनपद पंचायत द्वारा मनरेगा पोर्टल पर प्रविष्टि कराकर उक्त सामग्री का भुगतान सीधे ही हितग्राही को कराया जाएगा। किसी भी दशा में हितग्राही के अलावा अन्य किसी वेण्डर/ग्राम पंचायत/एजेंसी इत्यादि को भुगतान नहीं किया जायेगा। हितग्राही की सहमति के आधार पर भी किसी अन्य को भुगतान नहीं किया जा सकेगा। यदि हितग्राही के अतिरिक्त किसी अन्य को सामग्री (कुशल/अर्द्ध कुशल की राशि को छोड़कर) का भुगतान किया जाना पाया जाता है तो संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत व सहायक लेखाधिकारी, मनरेगा को वित्तीय अनियमितता का दोषी माना जाएगा।

5. क्रियान्वयन : -

- 5.1 "एक बगिया माँ के नाम" परियोजना अंतर्गत पौधारोपण की क्रियान्वयन एजेंसी ग्राम पंचायत होंगी। परन्तु इसका आशय यह नहीं होगा कि ग्राम पंचायत स्वयं एजेंसी के रूप में हितग्राही की भूमि पर कार्य करने लगे। ग्राम पंचायत का मात्र यह दायित्व होगा कि संबंधित हितग्राही के कार्य हेतु जारी की गई तकनीकी व प्रशासकीय स्वीकृति की शर्तों के अनुरूप गुणवत्तापूर्वक काम समय-सीमा से कराया जाये।
- 5.2 सिपरी साफ्टवेयर (SIPRI) में यह प्रावधान भी किया गया है कि भूमि अनुसार उपयुक्त फलोद्यान की प्रजाति (यथा कहाँ पर अमरूद लगाया जा सकता है या कहाँ पर आम लगाया जाना उपयुक्त है) को दर्शाये। मनरेगा व आजीविका मिशन के अमले का दायित्व होगा कि वह हितग्राहियों को उनकी भूमि हेतु उपयुक्त फलोद्यान की प्रजाति से अवगत कराकर भूमि अनुसार यथोचित पौधारोपण हेतु प्रेरित करें। परन्तु किसी भी दशा में जिला/जनपद/ग्राम पंचायत स्तर से किसी नर्सरी के पक्ष में क्रय आदेश जारी नहीं किया जायेगा।

- 5.3 इस परियोजना अंतर्गत स्वीकृत कार्यों में पौधारोपण 15 अगस्त से 15 सितंबर, 2025 तक एक अभियान के रूप में किया जाएगा, परन्तु पौधारोपण कार्य, किसी विशेष तिथि पर न किया जाकर सिपरी सॉफ्टवेयर (SIPRI) द्वारा सुझाए गए समयानुसार ही किया जाएगा। सिपरी सॉफ्टवेयर (SIPRI) में यह व्यवस्था भी की गई है कि जिलेवार यह दर्शित करेंगे कि 15 अगस्त से 15 सितम्बर, 2025 के मध्य कौन सा अंतराल पौधारोपण हेतु उपयुक्त है।
- 5.4 फलोद्यान के साथ अंतरवर्तीय फसलें (inter-cropping) आवश्यक रूप से लिए जाने हेतु हितग्राही को प्रेरित किया जाये। यह स्पष्ट किया जाता है कि अंतरवर्तीय फसलें लिए जाने के लिए किसी भी प्रकार का व्यय मनरेगा अंतर्गत अनुमत नहीं होगा। परन्तु हितग्राही को यह स्वतंत्रता होंगी कि वह सम्पूर्ण भूमि का प्रयोग फलोद्यान के लिए कर सके। मनरेगा व आजीविका मिशन के अमले का दायित्व होगा कि हितग्राही को इस विषय में जानकारी प्रदाय करें। सिपरी सॉफ्टवेयर (SIPRI) में हितग्राही की भूमि हेतु उपयुक्त अंतरवर्तीय फसलें दर्शित किए जाने का प्रावधान भी किया गया है।
- 5.5 ग्राम पंचायत स्तर पर फलोद्यान के प्रबंधन/सहायता हेतु आजीविका मिशन की कृषि सखी उपलब्ध होंगी। कृषि सखी, फलोद्यान के प्रबंधन जैसे- समय पर खाद, पानी एवं कीटों से रोकथाम, जैविक खाद एवं जैविक कीटनाशक तैयार एवं उपयोग करवाना, अंतरवर्तीय फसलों की खेती संबंधी दायित्वों का निर्वहन करेंगी। आजीविका मिशन द्वारा प्रत्येक 25 एकड़ के फलदार पौधारोपण पर एक कृषि सखी को उपलब्ध कराया जाएगा। कृषि सखी को आजीविका मिशन की CRP Policy अनुसार मानदेय आजीविका मिशन द्वारा प्रदाय किया जावेगा। कृषि सखी को इस परियोजना अंतर्गत प्रभावी रूप से सक्रिय किये जाने का दायित्व आजीविका मिशन का होगा। जिला कलेक्टर द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कृषि सखी को तकनीकी मार्गदर्शन जिले के उद्यानिकी विभाग के अमले अथवा आजीविका मिशन के Partner NGO's द्वारा सतत दिया जाए।
- 5.6 पौधारोपण परियोजना अंतर्गत चयनित हितग्राहियों को माइक्रो इरीगेशन पद्धति से जोड़कर ड्रिप इरीगेशन हेतु प्रेरित किया जाए। ड्रिप इरीगेशन के लिए हॉर्टिकल्चर विभाग/ कृषि विभाग/ सीएसआर फंड/सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन आदि से समन्वय स्थापित कर हितग्राहियों को ड्रिप इरीगेशन की सुविधा से जोड़ा जाने का प्रयास किया जाए। जिला कलेक्टर द्वारा यह भी प्रयास किया जायेगा कि ड्रिप इरीगेशन हेतु उद्यानिकी विभाग द्वारा जिले हेतु निर्धारित लक्ष्य में से अधिकाधिक लाभ इस परियोजना के हितग्राहियों को प्राप्त हो सके।

6. प्रशिक्षण :-

- 6.1 फलदार पौधारोपण कार्य अंतर्गत प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण घटक है। परियोजना के हितग्राहियों का प्रशिक्षण आजीविका मिशन द्वारा Community Managed Training Centre (CMTC) में वर्ष में दो बार आयोजित किये जाएंगे। प्रशिक्षणों का भुगतान आजीविका मिशन द्वारा सामुदायिक प्रशिक्षण केन्द्रों (CMTC) के निर्धारित नियमों अनुसार किया जावेगा। यह भी प्रयास किया जाए कि प्रशिक्षण में कृषि विज्ञान केन्द्र के विशेषज्ञों को शामिल किया जाए।
- 6.2 पौधारोपण की कार्ययोजना एवं क्रियान्वयन के विषय में आजीविका मिशन अंतर्गत कृषि सखियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। अतः कृषि सखियों द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर पौधारोपण हेतु चयनित हितग्राहियों के साथ न्यूनतम 15 दिवस में एक बार बैठक व हितग्राही के फलोद्यान पौधों का निरीक्षण किया जाए।

7. अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण :-

- 7.1 परिषद द्वारा परियोजना अंतर्गत पौधारोपण का MPSEDC के माध्यम से ड्रोन सर्वे/सेटेलाइट इमेजरी/अन्य आधुनिकतम तकनीकों के माध्यम से पर्यवेक्षण का प्रयास किया जायेगा। यदि उपरोक्त तकनीकी के माध्यम से पौधारोपण के विफल होने के ठोस प्रमाण प्राप्त होते हैं, तो इस डाटा के आधार पर हितग्राही से वसूली तथा परियोजना के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध स्पष्टीकरण प्राप्त कर वसूली व अनुशासनात्मक कार्यवाई की जा सकेगी।
- 7.2 परिषद द्वारा परियोजना के पर्यवेक्षण हेतु नरेगा साफ्ट के डाटा के आधार पर पृथक डेशबोर्ड बनाने का प्रयास भी किया जायेगा।
- 7.3 पौधारोपण परियोजना अंतर्गत विभिन्न स्तर पर निम्न अधिकारी/कर्मचारी योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी रहेंगे -

ग्राम पंचायत स्तर	जनपद स्तर	जिला स्तर
ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक	संबंधित उपयंत्री, सहायक यंत्री, ब्लॉक परियोजना प्रबंधक आजीविका मिशन, कार्यक्रम अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, मनरेगा	कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, परियोजना अधिकारी, मनरेगा, जिला परियोजना प्रबंधक, आजीविका मिशन

8. पुरस्कार :-

पौधारोपण कार्य हेतु उत्कृष्ट कार्य करने वालों को निम्नानुसार राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा:-

8.1 प्रथम 03 जिले:

(राशि रु. लाख में)

क्र.	पद	प्रथम	द्वितीय	तृतीय
1.	कलेक्टर	1.50	1.25	1.00
2.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	1.00	0.75	0.50
3.	कार्यपालन यंत्री ग्रायांसे, डीपीएम, आजीविका मिशन व परियोजना अधिकारी, मनरेगा (प्रत्येक के लिए पृथक-पृथक)	0.35	0.30	0.25

8.2 प्रथम 10 जनपद पंचायतें:

(राशि रु. लाख में)

क्र.	पद	राशि
1.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	0.35
2.	सहायक यंत्री, ब्लॉक प्रबंधक, आजीविका मिशन व अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, मनरेगा (प्रत्येक के लिए पृथक-पृथक)	0.25
3.	उपयंत्री	0.20

8.3 प्रथम 25 ग्राम पंचायतें:

(राशि रु. लाख में)

क्र.	पद	राशि
1	सचिव व ग्राम रोजगार सहायक (प्रत्येक के लिए पृथक-पृथक)	0.15

उक्त पुरस्कार हेतु राशि मनरेगा के प्रशासकीय मद से देय होगी। उपरोक्त राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु उन जिलों एवं जनपदों पर ही विचार किया जायेगा, जो न्यूनतम प्रति जनपद 100 परियोजना का लक्ष्य अर्जित करेंगे।

9. कार्बन क्रेडिट :-

निजी भूमि पर किए गए पौधारोपण को कार्बन क्रेडिट मार्केट से जोड़े जाने की संभावना है। अतः इस परियोजना अंतर्गत हितग्राहियों की भूमि पर किए गए पौधारोपण को हितग्राही की सहमति के आधार पर कार्बन क्रेडिट मार्केट से जोड़े जाने के विकल्प पर परिषद व राज्य आजीविका मिशन द्वारा यथोचित प्रयास किए जाएंगे। इस प्रयोजन हेतु कार्बन क्रेडिट मार्केट में सक्रिय अकादमिक संस्थानों, एनजीओ, निजी संगठनों, परामर्शीय संस्थाओं, कंपनियों के घटकों इत्यादि से विचार विमर्श किया जाए। परंतु कार्बन क्रेडिट औपचारिक लिंकेज से पूर्व इस विषय में नीति का निर्धारण सक्षम स्तर से प्राप्त किया जाए।

10. पौधारोपण परियोजना हेतु विभिन्न कार्यवाहियां संपादित करने के लिए समय-सारणी निम्नानुसार है :-

क्र.	गतिविधि	समय-सीमा	उत्तरदायित्व
1.	MPSEDC द्वारा निर्मित App व सिपरी साफ्टवेयर (SIPRI) के माध्यम से उपयुक्त भूमि वाले हितग्राहियों का चयन करना व प्रस्तावित भूमि हेतु उपयुक्त पौधारोपण प्रजातियों का निर्धारण करना (प्रत्येक जनपद से यथासंभव न्यूनतम 100 हितग्राही)।	15 जुलाई, 2025	संबंधित उपयंत्री, सहायक यंत्री, ब्लॉक परियोजना प्रबंधक आजीविका मिशन, कार्यक्रम अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, मनरेगा
2.	प्रस्तावित हितग्राही की भूमि का स्थल निरीक्षण कर उपयुक्तता का भौतिक सत्यापन किया जाना व सत्यापन उपरांत तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी करना	25 जुलाई, 2025	संबंधित उपयंत्री, सहायक यंत्री, ब्लॉक परियोजना प्रबंधक आजीविका मिशन, कार्यक्रम अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, मनरेगा, संबंधित
3.	पौधारोपण हेतु गड्ढे की खुदाई एवं पौधारोपण हेतु तैयारी, तार फैसिंग का कार्य पूर्ण करना	14 अगस्त, 2025	ग्राम पंचायत
4.	पौधारोपण कार्य	15 अगस्त, 2025 से 15 सितम्बर, 2025	

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


5/7/25
(दिनेश जैन)

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल।
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल।
3. आयुक्त, उद्यानिकी संचालनालय, भोपाल।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, भोपाल म.प्र.।
5. आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल।
6. प्रबंध संचालक, MPSEDC भोपाल।
7. संभागायुक्त, समस्त मध्यप्रदेश।
8. प्रमुख अभियन्ता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, भोपाल।
9. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा समस्त परिक्षेत्र, मध्यप्रदेश।
10. अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, समस्त मण्डल, मध्यप्रदेश।
11. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, समस्त संभाग, मध्यप्रदेश।
12. जिला परियोजना प्रबन्धक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (समस्त जिले), मध्यप्रदेश।
13. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत (समस्त), मध्यप्रदेश।
14. विकासखण्ड परियोजना प्रबन्धक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जनपद पंचायत (समस्त), मध्यप्रदेश।


5/7/25
अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

SOR Period : 01/01/2025 - 31/03/2025

Put the No. of
Plants for
planting **100**

Detailed Estimate

Horticulture Plantation in Individual land 100 Plants 6mx6m

Heading / Description : 1 - Compost pit with side drains for irrigation

1 63.27.04.3 -- Earth work in excavation in trenches for foundations and for pipes, cables etc. not exceeding 1.5m in width and for shafts, cesspits and the like not exceeding 10sqm on plan including dressing of sides and ramming of bottoms lift upto 1.5m including getting out the excavated soil and disposal of surplus excavated soil as directed, within a lead of 20m
(c) Dense or hard soil (PT/30/30)

SI No	Description	No	L	B	D	CF	Quantity	Remark
1	Bhu Nadep	1	6.000	6.000	1.000	1.0	36.0000	-
2	Drain	20	65.000	0.300	0.300	1.0	117.0000	-

LIST

Code	Description	Unit	Quantity	Rate(Rs)	Amount(Rs)	Total Total Quantity	Total Amount(Rs)
0114	Beldar	Day	0.9214	261.00	240.49	140.9742	36794.27

Total Quantity 153.0000 cum
Total Deducted Quantity 0.00 cum
Net Total Quantity 153.0000 cum

Say	153.0000 cum	@ Rs 271.749	per cum	41577.60 Rs
Unskilled wage	36794.27	Unskilled Person-days	140.974	

Total Amount for Compost pit 41577.60
Total Labour Amount for Compost pit 36794.27
Total Mandays for Compost pit 140.97

Heading / Description : 2- Jal Kund

1 63.27.04.3 -- Earth work in excavation in trenches for foundations and for pipes, cables etc. not exceeding 1.5m in width and for shafts, cesspits and the like not exceeding 10sqm on plan including dressing of sides and ramming of bottoms lift upto 1.5m including getting out the excavated soil and disposal of surplus excavated soil as directed, within a lead of 20m
(c) Dense or hard soil (PT/30/30)

SI No	Description	No	L	B	D	CF	Quantity	Remark
1	Jal Kund With HDPV Sheet	1	5.000	5.000	2.000	1.0	50.0000	-

LIST

Code	Description	Unit	Quantity	Rate(Rs)	Amount(Rs)	Total Total Quantity	Total Amount(Rs)
0114	Beldar	Day	0.9214	261.00	240.49	46.0700	12024.27

K. S. MIRBHHA
Chief Engineer

ए.एस. कुंवर
अधीक्षक यंत्री
अधीक्षक माली
स.प्र. राज्य योजनार
सोपल (स.प्र.)

Total Quantity										50.0000 cum		
Total Deducted Quantity										0.00 cum		
Net Total Quantity										50.0000 cum		
Say	Unskilled	12024.27	cum	@ Rs	271.749	per cum	13587.45 Rs					
2	63.27.35 -- Providing and fixing in position HDPE Film 500 micron, black colour ,420 GSM for jalkund, farm pond & any water storage structure i/c cost of all material, labour laying , jointing as per specification.											
SI No	Description	No	L	B	D	CF	Quantity	Remark				
1	Jal Kund with HDPV	1	9.600	9.600		1.0	92.1600	-				
HDPE Film 500 micron												
LIST												
Code	Description	Unit	Quantity	Rate(Rs)	Amount(Rs)	Total		Total Amount(Rs)				
Total Quantity				92.1600 cum								
Total Deducted Quantity				0.00 cum								
Net Total Quantity				92.1600 cum								
Say	Unskilled	1443.23	cum	@ Rs	23429.60	per cum	37017.05					
Unskilled Person-days				91520								
Total Amount for Jal Kund							13467.50					
Total Labour Amount for Jal Kund							13467.50					
Heading / Description : 1 - First year												
63.01.02 --Jungle clearance including uprooting of rank vegetation, grass, brush wood, saplings and tree not exceeding 30cm girth and removing not exceeding 50meters outside the periphery of the area cleared.												
SI No	Description	No	L	B	D	CF	Quantity	Remark				
As per instruction												
1	1 Acre =4046.86 sqm	1	60.000	67.440		0.5	2023.2000	-				
LIST												
Code	Description	Unit	Quantity	Rate(Rs)	Amount(Rs)	Total		Total Amount(Rs)				
114	Beldar	Day	0.0302	261.00	7.87	60.9995		15920.86				
Total Quantity				2023.2000 sqm								
Total Deducted Quantity				0.00 sqm								
Net Total Quantity				2023.2000 sqm								
Say	Unskilled	15920.86	sqm	@ Rs	18182.50	per sqm	18182.50 Rs					
Unskilled Person-				18182								

For the person

SP

2 63.27.04.1 – Earth work in excavation in trenches for foundations and for pipes, cables etc. not exceeding 1.5m in width and for shafts, cesspits and the like not exceeding 10sqm on plan including dressing of sides and ramming of bottoms lift upto 1.5m including getting out the excavated soil and disposal of surplus excavated soil as directed, within a lead of 20m
(a) Dense or hard soil (PT/60/60)

SI No	Description	No	L	B	D	CF	Quantity	Remark
1	-	100	0.900	0.900	0.900	1.0	72.9000	-

LST

Code	Description	Unit	Quantity	Rate(Rs)	Amount(Rs)	Total Quantity	Total Amount(Rs)
0114	Beldar	Day	0.7440	261.00	194.18	54.2376	14156.01

Total Quantity 72.9000 cum

Total Deducted Quantity 0.00 cum

Net Total Quantity 72.9000 cum

Say		cum	@ Rs	per cum	15996.30	Rs
Unskilled wage	14156.01			Unskilled Person-days		

3 63.28.19 – Filling dug pits with manure/compost for dug-pit size 0.90mx0.90mx0.90m (using Manure and Excavated earth for filling)

SI No	Description	No	L	B	D	CF	Quantity	Remark
1	-	100				1.0	100.0000	-

LST

Code	Description	Unit	Quantity	Rate(Rs)	Amount(Rs)	Total	Total Amount(Rs)
MR6107	2500 kg	kg	2.5000	12.50	12.50	250.0000	1250.00
0114	Beldar	Day	0.2200	261.00	57.42	22.0000	5742.00

Total Quantity 100.0000 each

Total Deducted Quantity 0.00 each

Net Total Quantity 100.0000 each

Say		each	@ Rs	per each	7900.96	Rs
Unskilled wage	5742.00			Unskilled Person-days		

4 63.28.05.9 – Planting (including cutting and removal of polythene bags) pre- selected species of plants at pre-prepared pit of size 0.60 x 0.60 x 0.60 m watering.
(IX) Anar plant (Tissue culture)

SI No	Description	No	L	B	D	CF	Quantity	Remark
1	-	100				1.0	100.0000	-

LST

Code	Description	Unit	Quantity	Rate(Rs)	Amount(Rs)	Total Quantity	Total Amount(Rs)
MR6124		each	1.0000		120.00	100.0000	12000.00

[Handwritten signature]

0114	Beldar	Day	10.0200	261.00	5.22	2.0000	522.00	
				Total Quantity		100.0000	each	
				Total Deducted Quantity		0.00	each	
				Net Total Quantity		100.0000	each	
				Unskilled Person-days		14149.86	Rs	
5	Unskilled wage	522.00	each	@ Rs		14149.86	Rs	
5	63.28.12.2.1 - Transportation for Plants Plants polythene size 15x25 cm plants (including loading and unloading), lead of (l) 0 to 10 km							
SI No	Description	No	L	B	D	CF	Quantity	Remark
1	-	100				1.0	100.0000	-
LIST								
Code	Description	Unit	Quantity	Rate(Rs)	Amount(Rs)	Total Quantity	Total Amount(Rs)	
MR11635	Hire charges for tractor with trolley (including all	hour	0.0013	847.46	1.06	0.12500	105.933	
			Total Quantity		100.0000	each		
			Total Deducted Quantity		0.00	each		
			Net Total Quantity		100.0000	each		
			Net Total Quantity		105.90	Rs		
5	63.09.30 -- Providing and fixing barbed wire fencing with 5 rows of horizontal barbed wire and 2 diagonal rows tightened to RCC post as per IS:4996-1984, 2M long, 1.4 m above and 0.6 m below ground level, c/c spacing of each post shall not exceed 3M with diagonal strut at every 30M to hold the fencing in line and level. Top and bottom section of RCC post shall be 100mm X 100mm and 150mm X 150mm respectively, with iron pins casted in post. The weight of two ply GI barbed wire shall not be less than 9.38 kg per 100 m length of wire. The RCC post shall be casted in M-20 cement concrete as per IS:456-2000, with reinforcement as per IS:432-1982, 10mm dia 4 nos longitudinal bars and 6mm dia stirrups @ 150mm c/c, complete with cost of excavation & filling cement concrete M-15 grade for fixing posts & struts to the pit of size 0.30x0.30x0.60 M for each post and struts etc. complete.,							
SI No	Description	No	L	B	D	CF	Quantity	Remark
1		250				1.0	250.0000	
Code	Description	Unit	Quantity	Rate(Rs)	Amount(Rs)	Total Quantity	Total Amount(Rs)	
114	Beldar	Day	0.0694	261.00	18.11	17.3500	4528.35	
124	Mason (brick layer) 2nd class	Day	0.0098	492.00	0.39	0.2000	98.40	
123	Mason (brick layer) 1st class	Day	0.0008	621.00	0.50	0.2000	124.20	
103	Blacksmith 2nd class	Day	0.0113	492.00	5.56	2.8250	1389.90	
367	Portland Cement	tonne	0.0037	6400.00	23.68	0.9250	5920.00	
982	Coarse sand (zone III)	cum	0.0076	879.20	7.44	1.9000	1860.48	
MR6001	Stone Aggregate(single size): 40 mm nominal size other than BT	cum	0.0152	500.00	7.60	3.8000	1900.00	
1029	Galvanised steel barbed wire	quintal	0.0070	7940.00	55.58	1.7500	13895.00	

[Handwritten signature]

MR6071	RCC fencing post of CC M20 , 2 Mitre long	no	10.4200	290.00	121.80	105.0000	30450.00	
Total Quantity					250.0000 metre			
Total Deducted Quantity					0.00 metre			
Net Total Quantity					250.0000 metre			
Say		metre	@ Rs	per metre	68710.00	Rs		
Unskilled	4528.35		Unskilled Person-					
6								
63.28.07.1								
SI No	Description	No	L	B	D	CF	Quantity	Remark
1		100				1.0	100.0000	-
LIST								
Code	Description	Unit	Quantity	Rate(Rs)	Amount(Rs)	Total	Total Amount(Rs)	
MR6139	Vermi compost	kg	10.0000	10.00	100.00	1000.0000	10000.00	
MR11653	Neem Cake	kg	1.0000	30.00	30.00	100.0000	3000.00	
	bone mil	kg	1.0000	30.00	30.00	100.0000	3000.00	
	NPK Consortia	lt	0.0150	350.00	5.25	1.5000	525.00	
	Trichodamma	kg	0.0200	200.00	4.00	2.0000	400.00	
	Chloropyriphus	lt	0.0200	480.00	9.60	2.0000	960.00	
	Microyza	kg	0.0400	150.00	6.00	4.0000	600.00	
0114	Beldar (as per field analysis)	Day	0.2500	261.00	65.25	25.0000	6525.00	
			Total Quantity		100.0000 each			
			Total Deducted Quantity		0.00 each			
			Net Total Quantity		100.0000 each			
Say		each	@ Rs	per each	28261.30	Rs		
Unskilled	6525.00		Unskilled Person-					
7	63.27.33 – Citizen Information Board Size 0.6 Meter x 0.9 Meter (Individual Works)							
SI No	Description	No	L	B	D	CF	Quantity	Remark
1		1				1.0	1.0000	-
LIST								
Code	Description	Unit	Quantity	Rate(Rs)	Amount(Rs)	Total	Total Amount(Rs)	
63.27.07.2	(b) Dense or hard soil	cum	0.7653	175.66	134.42	0.7653	134.42	
63.04.01	Filling available excavated earth (excluding rock) in	cum	0.0800	69.30	5.54	0.0800	5.54	
63.04.13.2	(b) C.C. 1:3:6 (1cement, 3sand, 6metal)	cum	0.0800	3137.57	251.01	0.0800	251.01	
63.06.05.9	(i) Cement mortar 1:5 (1cement, 5sand)	cum	0.2900	5082.49	1468.12	0.2900	1468.12	
63.10.15	Extra rate for finishing with a floating cot of neat	sqm	1.9900	44.61	88.77	1.9900	88.77	

Handwritten signature

63.13.18.1	(a) 2 coats on new work	sqm	1.9900	25.14	50.03	1.9900	50.03
63.13.16.2	(b) White cement	sqm	1.9900	11.56	23.00	1.9900	23.00
63.10.07.3	(i) Cement mortar 1:5 (1cement, 5sand)	cum	1.9900	209.25	416.41	1.9900	416.41
			Total Quantity		1.0000 each		
			Total Deducted Quantity		0.00 each		
			Net Total Quantity		1.0000 each		
Say	each	@ Rs	2783.397	per each	2783.40	Rs	
Unskilled wage	498.60	Unskilled Person-days					
			Total Amount for First Year		234684.86		
			Total Labour Amount for First Year		98154.59		
			Total Mandays for First Year		376		
Heading / Description : 2 - Second year							
1	63.27.04.1 -- Earth work in excavation in trenches for foundations and for pipes, cables etc. not exceeding 1.5m in width and for shafts, cesspits and the like not exceeding 10sqm on plan including dressing of sides and ramming of bottoms lift upto 1.5m including getting out the excavated soil and disposal of surplus excavated soil as directed, within a lead of 20m</br>(a) Dense or hard soil (PT/60/60)						
SI No	Description	No	L	B	D	CF	Quantity
As per instruction							
1	Gap filling 20%	20	0.900	0.900	0.900	1.0	14.5800
LIST							
Code	Description	Unit	Quantity	Rate(Rs)	Amount(Rs)	Total Quantity	Total Amount(Rs)
0114	Beldar	Day	0.7440	261.00	194.18	10.8475	2831.20
			Total Quantity		14.5800 cum		
			Total Deducted Quantity		0.00 cum		
			Net Total Quantity		14.5800 cum		
Say	cum	@ Rs	per cum		3199.26 Rs		
Unskilled	2831.20	Unskilled Person-					
2	63.28.19.1 -- Filling dug pits of size 0.9 x 0.9 x 0.9 m using excavated earth, in any year except first year						
SI No	Description	No	L	B	D	CF	Quantity
1	Gap filling 20%	20				1.0	20.0000
LIST							
Code	Description	Unit	Quantity	Rate(Rs)	Amount(Rs)	Total Quantity	Total Amount(Rs)
0114	Beldar	Day	0.2200	261.00	57.42	4.4000	1148.40
			Total Quantity		20.0000 each		
			Total Deducted Quantity		0.00 each		
			Net Total Quantity		20.0000 each		

Say		each	@ Rs	57.420	per each	1148.40	Rs
Unskilled wage	1148.40			Unskilled Person-days			
3	63.28.05.9 - Planting (including cutting and removal of polythene bags) pre-selected species of plants at pre-prepared pit of size 0.60 x 0.60 x 0.60 m watering. (IX) Anar plant (Tissue culture)						
SI No	Description	No	L	B	D	CF	Quantity
1	Gap filling 20%	20				1.0	20.0000
LIST							
Code	Description	Unit	Quantity	Rate(Rs)	Amount(Rs)	Total	Total Amount(Rs)
MR6124	Beldar	each	1.0000	120.00	20.0000	2400.00	
0114	Beldar	Day	0.0200	261.00	5.22	0.4000	104.40
Total Quantity				20.0000 each			
Total Deducted Quantity				0.00 each			
Net Total Quantity				20.0000 each			
Say		each	@ Rs		per each	2829.97	Rs
Unskilled	104.40			Unskilled Person-			
4	63.28.12.2.1 - Transportation for Plants Plants polythene size 15x25 cm plants (including loading and unloading), lead						
SI No	Description	No	L	B	D	CF	Quantity
1	Gap filling 20%	20				1.0	20.0000
LIST							
Code	Description	Unit	Quantity	Rate(Rs)	Amount(Rs)	Total	Total Amount(Rs)
MR11635	Hire charges for tractor with trolley (including all	hour	0.0013	847.46	1.06	0.02500	21.187
Total Quantity				20.0000 each			
Total Deducted Quantity				0.00 each			
Net Total Quantity				20.0000 each			
Say		each	@ Rs		per each	21.18	Rs
5	63.28.31 - Maintenance of barbed wire fencing						
SI No	Description	No	L	B	D	CF	Quantity
1		250				1.0	250.0000
LIST							
Code	Description	Unit	Quantity	Rate(Rs)	Amount(Rs)	Total	Total Amount(Rs)
0114	Beldar	Day	0.0069	261.00	1.80	1.72500	450.225
Total Quantity				250.0000 each			
Total Deducted Quantity				0.00 each			
Net Total Quantity				250.0000 each			

[Signature]

Say		250.000	each	@ Rs	450.25	Rs
Unskilled wage	450.23			Unskilled Person-days		
6						
63.28.07.2						
SI No	Description	No	L	B	D	CF
1	-	100				1.0
						100.0000
						-
Code	Description	Unit	Quantity	Rate(Rs)	Amount(Rs)	Total Quantity
MR6139	Vermi compost	kg	5.00	10.00	50.00	500.0000
MR11653	Neem Cake	kg	0.50	50.00	15.00	50.0000
	bone mil	kg	0.50	30.00	15.00	50.0000
	NPK Consortia	lt	0.015	350.00	5.25	1.5000
	Trichodarma	kg	0.02	200.00	4.00	2.0000
	Chloropyriphus	lt	0.02	480.00	9.60	2.0000
	Micronya	kg	0.04	150.00	6.00	4.0000
0114	Beldar (as per field analysis)	Day	0.25	261.00	65.25	25.0000
			Total Quantity		100.0000	each
			Total Deducted Quantity	0.00	each	
			Net Total Quantity		100.0000	each
Unskilled wage	6525.00	each	@ Rs	19221.30	Rs	
			Unskilled Person-days			
			Total Amount for Second Year		26870.36	
			Total Labour Amount for Second Year		11059.23	
			Total Mandays for Second Year		42	
Heading / Description : 3 - Third year						
1	63.27.04.1 -- Earth work in excavation in trenches for foundations and for pipes, cables etc. not exceeding 1.5m in width and for shafts, cesspits and the like not exceeding 10sqm on plan including dressing of sides and ramming of bottoms lift upto 1.5m including getting out the excavated soil and disposal of surplus excavated soil as directed, within a lead of 20m (a) Dense or hard soil (PT/60/60)					
SI No	Description	No	L	B	D	CF
						Quantity
						Remark
						As per instruction
1	Gap filling 10%	10	0.900	0.900	0.900	1.0
						7.2900
						-
Code	Description	Unit	Quantity	Rate(Rs)	Amount(Rs)	Total Quantity
						Total Amount(Rs)

0114	Beldar	Day	0.2400	194.18	5.4238	1415.60
			Total Quantity	7.2900 cum		
			Total Deducted Quantity	0.000 cum		
			Net Total Quantity	7.2900 cum		
Say		cum	@ Rs	per cum		1598.63 Rs
Unskilled wage	1415.60			Unskilled Person-days		
2	63.28.19.1 -- Filling dug pits of size 0.9 x 0.9 x 0.9 m using excavated earth, in any year except first year	No	L	B	D	CF
SI No	Description	No	L	B	D	CF
1	Gap filling 10%	10				1.0
LIST						
Code	Description	Unit	Quantity	Rate(Rs)	Amount(Rs)	Total Quantity
0114	Beldar	Day	0.2200	261.00	57.42	2.2000
			Total Quantity		10.0000 each	
			Total Deducted Quantity	0.000 each		
			Net Total Quantity		10.0000 each	
Say		each	@ Rs	57.420	per each	574.20 Rs
Unskilled wage	574.20			Unskilled Person-days		
3	63.28.05.9-- Planting (including cutting and removal of polythene bags) pre- selected species of plants at pre-prepared pit of size 0.60 x 0.60 x 0.60 m watering. (IX) Anar plant (Tissue culture)					
SI No	Description	No	L	B	D	CF
1	Gap filling 10%	10				1.0
LIST						
Code	Description	Unit	Quantity	Rate(Rs)	Amount(Rs)	Total Quantity
MR6124		each	1.0000		120.00	10.0000
0114	Beldar	Day	0.0200	261.00	5.22	0.2000
			Total Quantity		10.0000 each	
			Total Deducted Quantity	0.000 each		
			Net Total Quantity		10.0000 each	
Say		each	@ Rs	per each	1414.99 Rs	
Unskilled wage	52.20			Unskilled Person-days		
4	63.28.12.2.1 -- Transportation for Plants Plants polythene size 15x25 cm plants (including loading and unloading), lead of (i) 0 to 10 km					

SI No	Description	No	L	B	D	CF	Quantity	Remark
1	Gap filling 10%	10				1.0	10.0000	-
LIST								
Code	Description	Unit	Quantity	Rate(Rs)	Amount(Rs)	Total Quantity	Total Amount(Rs)	
MR11635	Hire charges for tractor with trolley (including all	hour	0.0013	847.46	1.06	0.01250	10.593	
Total Quantity					10.0000 each			
Total Deducted Quantity					0.00 each			
Net Total Quantity					10.0000 each			
Say	10.0000 each	@ Rs		per each	10.59 Rs			
5	63.28.31 -- Maintenance of barbed wire fencing							
SI No	Description	No	L	B	D	CF	Quantity	Remark
1	-	250				1.0	250.0000	-
LIST								
Code	Description	Unit	Quantity	Rate(Rs)	Amount(Rs)	Total Quantity	Total Amount(Rs)	
0114	Beldar	Day	0.0069	261.00	1.80	1.72500	450.225	
Total Quantity					250.0000 each			
Total Deducted Quantity					0.00 each			
Net Total Quantity					250.0000 each			
Say	250.0000 each	@ Rs		per each	450.25 Rs			

